नया मदरसा स्थापित करने हेतु निर्देशिका एवं मार्गदर्शन

मदरसा बोर्ड का उद्देश्य :-

'' म.प्र. मदरसा बोर्ड का मुख्य उद्येश्य पंरपरागत मदरसों को दीनी तालीम के साथ-साथ उनमें अध्ययनरत् विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा (दुनियावी तालीम) की मुख्य धारा से जोड़कर कक्षा 5वीं एवं 08वीं की परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसों को शासकीय योजनाओं से जोड़ना एवं उनका पर्यवेक्षण (**Monitoring**) करना है। ''

निर्देश एवं मार्गदर्शन :-

एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से नवीन समिति पंजीयन एवं मदरसा पंजीयन आवेदन करें। आवेदन करने संबंधी इस निर्देशिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसके अनुसार ही कार्यवाही करें ।

----

1. मदरसे का संचालन मदरसा प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम बोर्ड में मदरसा प्रबंध समिति पंजीयन का ऑनलाईन आवेदन करें। इसकी नियमावली एवं निर्धारित प्रारूप पोर्टल संचालक से प्राप्त करें। ध्यान रहे कि समिति का गठन बोर्ड की नियमावली के अनुसार हो।
2. समिति पंजीयन प्रक्रिया के बाद समिति द्वारा अध्यक्ष की ओर से मदरसा पंजीयन का ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।
3. मदरसा प्रबंध समिति द्वारा अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष/ सदस्य एवं प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका में से किसी एक को मदरसे से संबंधित पत्र-व्यवहार हेतु नियुक्त किया जाएगा। समिति द्वारा इसकी लिखित सूचना बोर्ड में समस्त पदाधिकारियों के हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगी।
4. **MBOARD** बोर्ड की रजिस्टर्ड SMS- ID है, इसके माध्यम से ही बोर्ड मदरसों को सूचना भेजता है।
5. मदरसा प्रबंध समिति के अध्यक्ष का स्थाई मोबाईल नं. ऑनलाईन पंजीयन आवेदन में ज़रूर उपलब्ध करायें। जिससे बोर्ड द्वारा समय-समय पर SMS के माध्यम से जारी सूचना उन तक पहुंच सकें।
6. मदरसा प्रबंध समिति मदरसा स्थापित कर उसमें ऐसे विद्यार्थियों को ही प्रवेश देगी जो किसी अन्य शासकीय/अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत् न हो। इन विद्यार्थियों की सूची कक्षावार तैयार कर प्रस्ताव के साथ बोर्ड में भी जमा करना होगा। मदरसे को बोर्ड द्वारा मान्यता जारी करने के उपरांत इन विद्यार्थियों की SSSMID (समग्र आई-डी) की मैपिंग मदरसे से करके मदरसे शासन द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
7. ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व इस निर्देशिका में नए मदरसे का आवेदन फॉरमेट एवं शपथ-पत्र उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन से पूर्व इन फॉरमेट्स को अवश्य भरें। शपथ-पत्र में अंकित अधिकृत क्षेत्रीय व्यक्तियों में से किन्ही दो व्यक्तियों से सत्यापित करायें। ध्यान रहे कि केवल एक अधिकृत व्यक्ति का सत्यापन मान्य नही होगा।
8. **नवीन मदरसा पंजीयन के आवेदन भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित किये गये है। इससे आपके आवेदन का निराकरण जिला शिक्षा अधिकारी एवं मदरसा बोर्ड को एक निश्चित अवधि में करना होगा। यह तभी संभव है जब आवेदक द्वारा आवेदन की हार्ड-कॉपी अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं म.प्र. मदरसा बोर्ड में जमा करायेंगे।**

निरंतर..........

9. ऑनलाईन आवेदन करने के बाद पोर्टल संचालक से सम्पूर्ण आवेदन का प्रिंट दो पत्रों के साथ अवश्य प्राप्त करें। उन पत्रों के अनुसार प्रस्ताव की फाईल तैयार कर एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निरीक्षण हेतु एवं दूसरी प्रति मदरसा बोर्ड कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें। इसके बाद ही आपके मदरसे की मान्यता संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

10. मदरसे के पंजीयन एवं मान्यता के लिये सर्वप्रथम अपने ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें, मदरसे का निरीक्षण करायें एवं निरीक्षण रिपोर्ट बोर्ड में आवेदन करने की तिथि से 20 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाईन भिजवायें। इसके बाद ही आपके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

11. समय–समय पर मदरसों से संबंधित अद्यतन जानकारी/Updates म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल की अधिकृत वेबसाईट **www.mpmb.org.in** पर देखी जा सकती है। इस वेबसाईट को कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य देखें।

12. मदरसे की जांच/निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति से कराया जाता है। निरीक्षण के समय मदरसा संचालक निरीक्षण कर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। उनके समक्ष प्रस्ताव/फाईल प्रस्तुत करें एवं अपने मदरसे का निरीक्षण कराने में सहयोग प्रदान करें।

13. बोर्ड के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले मदरसे को एक सत्र की मान्यता दी जा सकेगी इसके बाद प्रतिवर्ष मान्यता का नवीनीकरण प्राप्त करना होगा। मदरसों को मान्यता जारी करना एवं उनका पंजीयन/मान्यता निरस्त करने का अधिकार केवल म.प्र. मदरसा बोर्ड को है।

14. कृपया ध्याान रहे कि मदरसे के नाम के साथ स्कूल शब्द का प्रयोग न करें। म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा स्कूलों को मान्यता प्रदान नही की जाती है। मदरसे को स्कूल नही होना चाहिये तथा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नही होना चाहिये ।

15. मदरसे की मान्यता प्राप्त कर उसकी मोहर बनवाये जिसमें पंजीयन क्रमांक भी अंकित हो। मदरसे का बोर्ड भी बनवायें एवं पंजीयन क्रमांक उसमें भी अंकित करें।

16. मदरसे का बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के उपरांत छात्र/छात्राओं का प्रवेश रजिस्टर बनाये तथा स्टॉफ व छात्रों की उपस्थिति पंजी बनायें।

17. शिक्षकों की व्यक्तिगत फाईल बनाये और उनका सत्यापन अपने क्षेत्र के संकुल केन्द्र से कराये।

18. मदरसे का टाईम टेबिल बनाये एवं उसे मुनासिब जगह लगायें एवं लागू भी करें।

19. म.प्र.मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर मदरसे अपने नजदीक के संकुल केन्द्र से लगातार संम्पर्क में रहकर स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार सभी मदरसा छात्रों की सहभागिता शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक (बालरंग), खेलकूद एंव अन्यक सभी गतिविधियों में सुनिश्चत कराएं।

20. किसी भी कठिनाई एंव मार्गदर्शन हेतु म.प्र. मदरसा बोर्ड का फोन नं. 0755–2735931 तथा ई–मेल mpmbmanyata@gmail-com पर संम्पर्क कर सकते है।

निर्देशानुसार

हस्ता–
सचिव
मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड
भोपाल

मदरसा पंजीयन आवेदन करने की प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन करते समय कियोस्क पर ले जाने हेतु अभिलेख/जानकारियां इस प्रकार है :–

1. मदरसे का आवेदन समिति अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। उनका मोबाईल नं. ही आवेदन में अंकित कराये।
2. मदरसा संचालन करने वाली समिति के अध्यक्ष का आधार कार्ड अवश्य लेकर जायें।
3. मदरसे का फोटो लेकर जायें। कम्प्यूटर से बनाया गया फोटो अपलोड नही करें।
4. शपथ–पत्र के फॉरमेट की दो अधिकृत व्यक्तियों से सत्यापित मूल प्रति ऑनलाईन आवेदन फार्म में अपलोड करें।
5. छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्या एवं शिक्षकों की जानकारी लेकर जायें।
6. मदरसा प्रबंध समिति का ऑनलाईन पंजीयन मदरसा बोर्ड में कराने के लिये सदस्यों की जानकारी के विवरण का फॉरमेट पोर्टल से प्राप्त कर उसे भरे एवं समिति पंजीयन आवेदन फार्म में उसे अपलोड करें।
7. मदरसा पंजीयन आवेदन में समिति के विवरण में ऑनलाईन समिति पंजीयन आवेदन की प्रति अपलोड करें।
8. मदरसा निजि भवन में स्थापित करने की दशा में केवल बिजली का बिल अपलोड करायें।
9. यदि मदरसा किराये के भवन में स्थापित करना है तो वैद्य/वास्तविक किराया–नामा एवं बिजली का बिल दोना अपलोड करायें।
10. ऑनलाईन आवेदन में मदरसे का सम्पूर्ण पता अवश्य उपलब्ध कराये। जिसमें मकान नं. गली नं. एवं मदरसे के पास किसी चर्चित स्थान का उल्लेख हो।
11. मदरसे के आवेदन फार्म में वास्तविक (Original) ई–मेल आई डी एवं मोबाईल नम्बर मदरसे के अध्यक्ष का अवश्य अंकित करें।

ऑनलाईन आवेदन उपरांत बोर्ड में भेजने हेतु निर्देश -

1. नवीन मदरसा पंजीयन के ऑनलाईन आवेदन के बाद पोर्टल से आवेदन के साथ दो प्रकार के पत्र प्रिंट में निकलेंगे। यह पोर्टल संचालक से अवश्य प्राप्त करें। इसमें एक पत्र सचिव, मदरसा बोर्ड, भोपाल के नाम से होगा एवं दूसरा पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से प्राप्त होगा। पत्र के अनुसार दो फाईलें बनाये एक फाईल मदरसा बोर्ड को एवं दूसरी फाईल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति भेजे।
2. ऑनलाईन आवेदन के साथ प्राप्त पत्रों को ध्यान से पढ़े एवं उसमें जो दस्तावेज़ संलग्न करना है उसका पूरा विवरण अंकित किया गया है। कृपया उसके अनुसार ही प्रस्ताव तैयार करें।

✦✦✦✦

“ शपथ-पत्र ”

मैं..पिता/पति श्री...

आयु...............पता..

जिला..म.प्र.। मदरसा (नाम) ....

.... की संचालन समिति (नाम) ....

.... के अध्यक्ष की हैसियत से शपथ-पूर्वक कथन करता हूँ/करती हूँ कि मदरसे का संचालन मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड के निम्नलिखित मुख्य मापदण्ड अनुसार करना सुनिश्चित करुँगा/करुँगी :-

1. मदरसे में दीनी तालीम के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी।
2. मदरसे में अध्ययनरत् छात्र/मौलवी/शिक्षक एवं समिति पदाधिकारी मूलतः भारत के नागरिक हैं तथा वह किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंधित नही है।
3. मदरसे में केवल ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जो पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय शाला में प्रेवशित नही होंगे।
4. मदरसे के ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसके प्रस्ताव की एक मूल प्रति कार्यालय, म.प्र. मदरसा बोर्ड में एवं द्वितीय प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करूंगा/करूंगी तथा मदरसा निरीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के सतत संपर्क में रहूँगा/रहूँगी।
5. मदरसा, म.प्र. मदरसा बोर्ड कार्यालय द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं जानकारी मांगने पर पूर्ण जानकारी मदरसा बोर्ड को उपलब्ध करायेगा।

<u>सत्यापन</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित बिन्दु क्रमांक 01 से 05 तक में मेरे द्वारा किया गया कथन सत्य एवं सही है किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पाये जाने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा रहेगा।

गवाह :-

1. समिति सचिव नाम .... हस्ताक्षर ....
2. समिति कोषाध्यक्ष नाम .... हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षर

नाम अध्यक्ष : ....

<u>अनुशंसा/सत्यापन निम्न में से कोई दो :</u>

अध्यक्ष मदरसा बोर्ड, महापौर, अध्यक्ष जिला पंचायत, क्षेत्रीय विधायक, अध्यक्ष नगर पालिका, अध्यक्ष जनपद पंचायत, मदरसा बोर्ड के वर्तमान माननीय सदस्य, शहर काज़ी, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य,वार्ड पार्षद।

(1) **हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित**

नाम :...

पदनाम : ....

पता :...

(2) **हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित**

नाम :...

पदनाम : ....

पता :...

नोट :-उपरोक्त शपथ-पत्र पर सील सहित हस्ताक्षर करवायें। मदरसा पंजीयन के ऑनलाईन आवेदन से पूर्व इस शपथ-पत्र को दो क्षेत्रीय अधिकृत व्यक्तियों से सत्यापित करायें तद्उपरांत इसे कियोस्क पर लेकर जाये एवं इसे ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करें।